न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 749/2023

अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र खिराज सिंह जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सिलोचना पत्नी खिराज सिंह जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन कुमारी पुत्री खिराज सिंह जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. भविष्य पुत्र राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मंजू बाला पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवसी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 30/11/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 169/167 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 39.7980 है0 भूमि में से 12341/39798 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादीया संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की बहिन है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता व भाई व भतीजे के पक्ष में परित्याग कर [illegible]वाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 169/167 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 39.7980 है0 भूमि में से 12341/39798 हिस्सा भूमि में से 24/49 हिस्सा पर वादी काबिज है एवं 8/49 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है शेष

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

17/49 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 यथावत काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की माता के नाम दर्ज है । वादी की माता कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेली के उक्त वाद भूमि दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया स0 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 166/167 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 39.7980 है0 भूमि में से 13341/39798 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 169/167 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 39.7980 है0 भूमि में से 12341/39798 हिस्सा भूमि में से 24/49 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 8/49 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 17/49 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 749/2023
अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र खिराज सिंह जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सिलोचना पत्नी खिराज सिंह जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन कुमारी पुत्री खिराज सिंह जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. भविष्य पुत्र राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मंजू बाला पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवसी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 749 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 169/167 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 39.7980 है0 भूमि में से 12341/39798 हिस्सा भूमि में से 24/49 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 8/49 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 17/49 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर